Title: Regarding setting up a bench of Allahabad High Court in western Uttar Pradesh.

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रही है। वहां आज वैस्टर्न उत्तर प्रदेश के वकील हड़ताल पर चले गये हैं । वहां के व्यापारी, मजदूर, काश्तकार तथा उद्यमी सब उनका साथ दे रहे हैं । क्योंकि वहां की जनता को उच्च न्यायालय के लिए पांच सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, हम आपको भी बुलायेंगे । आप बार-बार क्या कर रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सईदुज्जमा : किसी वक्त भी वहां कुछ भी घटना घट सकती है, जिसे सरकार नहीं रोक पायेगी । चूंकि वहां के वकील हड़ताल पर गये हुए हैं, इस कारण से वहां की जनता परेशान है, न्यायालयों में काम-काज नहीं हो पा रहा है । सरकार ने 1986 में मान लिया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सभा के मैम्बर थे । वहां उन्होंने दिनांक 31.7.1986 को एक प्रश्न संख्या 45 पूछा था । उसके उत्तर में तत्कालीन न्याय मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने कहा था कि सरकार ने हाई कोर्ट की बैन्च की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है । उनके जवाब में यह भी था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके स्थान का चयन भारत सरकार करे । उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को इसके लिए अधिकृत किया था । यह अनुपूरक प्रश्न अटल जी ने किया था । यह 1986 से लम्बित है । इसमें इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है । माननीय अटल जी अब प्रधान मंत्री बन गये हैं । उनके प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया था, उसे आज सरकार को स्वीकार करना चाहिए और उसका शत-प्रतिशत अनुपालन करना चाहिए और वैस्टर्न यू.पी. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना तुरंत करनी चाहिए । आज वहां अत्यंत गम्भीर स्थिति बनी हुई है, यह कभी भी विस्फोटक हो सकती है। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, माननीय अटल जी को सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उसे इस सरकार को पूरा करना चाहिए । उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश ने भी दो बार 1979 तथा 1985 में आयोजित सम्मेलन में निर्णय लिया था कि वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गम्भीर स्थिति को देखते हुए वहां तुरन्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की जाए, जिससे कि वहां के वकीलों, मजदूरों और उद्योगों को बचाया जा सके तथा स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके । धन्यवाद ।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली ने बयान दिया है â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने नोटिस दिया है, हम नोटिस देने वालों को बुला रहे हैं, आपका अलग सब्जैक्ट है ।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने बयान दिया है कि प्रदेशों में जहां छ: सौ, सात सौ किलोमीटर की दूरी पर उच्च न्यायालय स्थित हैं, उन्हें विभाजित किया जा सकता है । गुजरात के बारे में उन्होंने बोला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बारे में बोला है । इसकी वजह से माननीय सदस्य ने कहा कि मेरठ में स्ट्राइक है तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के वकील तथा सारे जिले के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं । इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैन्च को इलाहाबाद में ही रखा जाए ।

उसका बंटवारा न किया जाए। मैं माननीय कानून मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्यों दे रहे हैं या देश के कानून मंत्री क्यों दे रहे हैंâ€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, सबको बोलने का समय मिलेगा। बीच में क्यों गड़बड़ कर रहे हैं ?

श्री सईदुज्जमा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को सरकार ने सिद्धान्त रूप में माना हुआ है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने भी दो बार 1979 और 1985 में आयोजित सम्मेलनों में यह निर्णय लिया था कि वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही खंडपीठों की स्थापना की जानी चाहिए â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो देश के हाइकोर्ट हैं उनका बंटवारा करना चाहती है या देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका देश की चारों दिशाओं में बंटवारा करना चाहती है ? यदि ऐसा होगा, तो पूरे देश के वकील हड़ताल पर चले

जाएंगे। इस समय सदन में संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस बारे में स्थिति कुछ स्पट करें। â€¦ (व्यवधान)